

**कार्यालय,**

**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,**

**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

**संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537**

**लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021**

**:कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 1268-NIMT INSTITUTE OF MEDICAL AND PARAMEDICAL SCIENCES,41.KNOWLEDGE PARK 1 PARI CHOWK,GREATER NOIDA,GAUTAM BUDDH NAGAR-201310**

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLIOMA IN PHARMACY	60	60

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद उ० प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्-17 में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ऐसी नवस्थापित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाएं जिन्हें सत्र 2019-20 हेतु ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, परंतु पी०सी०आई० द्वारा अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया है, एवं परिषद की निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षणोपरांत ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों के अनुरूप सत्र 2019-20 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संस्तुति प्रदान की गयी है, के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि ऐसी संस्थाओं को पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र प्राप्त हो जाने के उपरांत प्रथम वर्ष में प्रवेश के संबंध में बैठक आहूत कर ली जाये जिससे संबंधित संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग में सम्मिलित कराया जा सके।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1268	एनआईएमटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, 41 नॉलेज पार्क-1 परी चौक, गेंटर नॉयडा गौतमबुद्धनगर 201310	डिप्लोमा इन फार्मेसी	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45,000.00/-

- संस्थान एवं एक वर्ष की वार्षिक कार्यवाही (यदि वार्षिक कार्यवाही कार्यक्रम को अतिरिक्त) हेतु ₹५०- 22,500.00 (पचास हजार की वार्षिक धन/संसाधन से प्राप्त किया जावेगा) उपरोक्त को अतिरिक्त धन/साधनों से शुल्क का भुगतान के सम्बन्ध में समझ-संवाद पर सफल द्वारा निर्णय किये जाने वाले सातमाहोंस प्रभावी होगी और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कोस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश का अनुमोदन किया जाता है तो कोस को तत्पश्चात् दर्ज नहीं होगी।
- ✓ संस्था को (उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियम-2000 को शर्तों का अनुपालन करना होगा।
  - ✓ संस्था से तदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जावेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
  - ✓ संस्था को समझ-संवाद पर निर्णय सातमाहोंस के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
  - ✓ संस्था को एनआईसीटीआईई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
  - ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इकाई एवं विधि/विद्यार्थी/अतिरिक्त/सातमाहोंस/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा जेएचए, तदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, जेएचए तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, जेएचए द्वारा बनाये गये विद्यार्थी विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
  - ✓ दिनांक इन कार्यवाही कार्यक्रम को सरकार यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल जाती है तो इन संस्था में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, तदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई चार्ज वाचर किया जाता है तथा वाचर वाद के सत्र में या पचासवाहोंस द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्णय किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
  - ✓ दिनांक इन कार्यवाही कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को तदुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनक द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जावेगी।
  - ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीनात्म आस्थापन नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
  - ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सत्र-सत्रक उपलक्षण प्राप्त किया जाने वाला शुल्क छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
  - ✓ संस्था को शिक्षण-परिष्कार हेतु उपर्युक्त सातावहोंस उपलब्ध कलने के साथ रेजिग्न रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
  - ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-सदन, कनीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जावेगी।
  - ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पूरा सं- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तद दिनांक: 15-5-2019

प्रतिनिधि-प्रधानाचार्य/निदेशक, एनआईएमटी इस्टी0 ऑफ मेडिकल एण्ड पैरामेडिकल साइंसेस, 41 नॉलेज पार्क-1, पती चौक, गेट नोयडा गौतमबुद्धनगर 201310

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव